were armed with country-made pistols and when Police tried to stop them, they started throwing stones and bricks on police and also fired from these country-made pistols with which they were equipped, thus resulting in injuries to the Policemen on duty. With these acts of Lok Dal party workers, the area has become unsafe for common persons specially for the weaker sections of society. Responsible persons were present at the scene of incident.

I request this matter must be taken on top most priority to restore the confidence in safety in this area.

14.54 hrs.

BRAHMAPUTRA BOARD BILL-*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further consideration of the Brahmaputra Board Bill.

Mr. R. L. P. Verma was on his legs. You have already taken 5 minutes. Now only 4 minutes are left for this.

SOME HON. MEMBERS: Sir, the time should be extended for this item.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are ten more members who want to speak. Should we extend the time? I want to know the views of the Minister.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): We have no objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER: For how much time shall we extend it?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: It is left to you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think one hour will be all right. Is it the pleasure of the House to extend the time for this item by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, the House agrees. The time is extended by one hour.

Now, Mr. R. L. P. Verma.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे सत्तारूढ़ दल के कुछ माननीय सदस्य--श्री सत्यनारायण राव जी और श्री गिरधारी लाल व्यास जी कह रहे थे कि 33 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, खास कर जनता सरकार के समय में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बोर्ड का यह बिल 1979 के मार्च महीने में पेश हुआ था। जनता पार्टी की सरकार के भूतपूर्व कृषि तथा सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने इसको पेश किया था और इसे मन्जूर कराने की चेष्टा भी की थी, लेकिन तब तक सरकार नहीं बची। इस लिये यह कोई नई बात नहीं है।

1970 से ही इस पर कार्य किया जा रहा है। 1974-75 से आसाम सरकार के अधीन ब्रह्मपुत्र फ्लड कन्ट्रोल कमीशन चल रहा था। उस के बाद 1977-78 में इस पर 7 करोड 75 लाख रुपये व्यय हुए। 1978-79 में 10 करोड रुपये व्यय हुए और अब हमारे मंत्री जी आगे बढ़ कर इस पर 13 करोड रुपये व्यय करने के लिये तैयार हैं। आगे भी जब मास्टर प्लान बनेगा तो इस पर और ज्यादा खर्च किया जायगा। बहुत से लोगों की धारणा यह है कि इस पर 500 करोड़ से 1 हजार करोड रुपये तक लगेगा। वस्तुतः यह कोई छोटी-मोटी योजना नहीं है, यह पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सब से बड़ी नदी है और यह कहा जाय तो गलत नहीं होगा कि सारे देश में यह सब से बड़ी नदी है। 1950 में जो अर्थ.कवेक आया था, उस के द्वारा बहुत से टोपोग्राफिकल-चेन्जेज हुए हैं, जिस के कारण नदी की धारा बहुत तेज हो गई और जमीन ऊबड़-खाबड़ हो गई है जिस से हर वर्ष बाढ़ की चपेट से बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है और 16-17 लाख लोग प्रभावित हो जाते हैं। इस लिये इस के समाधान के लिये एक बहुत बड़ी योजना की

जरूरत थी, अब हमारे पांडे जी को इस का श्रेय जरूर मिलेगा ।

इस नदी में 1962, 1966, 1969, 1972, 1974, 1977 में बहुत जोर की बाढ़ आई । उसके बाद भारत सरकार ने अमरीकन और ब्रिटिश एक्सपर्ट्स को भी बुला कर उस की जांच कराने के लिये कहा था । ब्रिटिश विशेषज्ञों ने यहां आ कर देखा और कुछ मौखिक कह कर चले गये । अमरीकन विशेषज्ञों ने कोई रिपोर्ट भी पेश की थी और शायद उन्होंने यह कहा कि नदी को कन्ट्रोल करने के लिये सक्षम हैं, लेकिन समुद्र का नियन्त्रण नहीं कर सकते । उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, मैं समझता हूं हमारे एक्सपर्ट्स मास्टर-प्लान बनाते समय उस से कुछ मार्गदर्शन लेंगे, हालांकि मंत्री महोदय ने अपने ज्ञापन में इस के बारे में कुछ नहीं बताया है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की सरकारें नार्थ-ईस्ट कान्सिल के द्वारा कई छोटी-मोटी योजनाओं को काम में लेते रहे हैं । जैसे कपिल हाइडल प्राजेक्ट, कामेंग प्राजेक्ट, गारोहिल्ज थर्मल प्रोजेक्ट—इस तरह की कई योजनायें वहां अनेक वर्षों से चल रही हैं, लेकिन बहुत सफलीभूत नहीं हुई हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां "पागलादिया" और "सुबनसीरी" पर अनेक बांध बनाये गये, लेकिन बाढ़ की चपेट में वे बरबाद हो गये । इस के लिये जरूरी था कोई समन्वित बोर्ड बनता । लेकिन आप के द्वारा जो बोर्ड बनाया जा रहा है उस में तीन तरह की कार्य-नीति का निर्धारण हो रहा है और इस के साथ प्लानिंग, बहु-प्रयोजनायें, उन का प्राकल्लन, निष्पादन और अनुरक्षण भी शामिल हैं । इस लिये यह निश्चित है कि इस से असम, नागालैंड और जितने अन्य राज्य हैं, उन सब के लिये यह वरदान साबित होगा । ब्रह्मपुत्र नदी जो अभी तक उन के लिये अभिशाप सिद्ध होती थी, साथ-साथ हमारी सीमाओं के लिये एक खतरा बनी हुई थी, क्योंकि लिंक कट जाता था, अब उस का कन्ट्रोल होगा और वहां की जनता को राहत मिलेगी। बंगाल देश से भी इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें हुई हैं, समझौते भी हुए हैं, क्योंकि बंगला देश को भी इस नदी से बहुत हानि होती रही है। इस को नियंत्रित करना एक वरदान साबित होगा क्योंकि इस नदी के जल में बहुत तेज धारा है और इस धारा में जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। अगर इससे विद्युत उत्पादित की जाए, तो शायद आधे भारत के विद्युतिकरण में खाली एक नदी काम दे सकती है और यह परियोजना सफल होगी । अगर इस से जल विद्युत परियोजना बनाई जाए और इस की जो सहायक नदियां हैं, उन में जो विद्युत पैदा करने की क्षमता है, उस सारी क्षमता का उपयोग किया जाए, तो यह देश के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी कदम होगा और इस दिशा में मंत्री जी को सोचना चाहिए और इस दृष्टिकोण से भी इस परियोजना को लागू करना चाहिए ।

15 hrs.

इस के साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की एक लिंक नहर बनानी चाहिए और उस के द्वारा जो बहुत से क्षेत्र इन दोनों के बीच में पड़ते हैं, सिंचाई द्वारा उन में बहुत सी फसलें उपजाई जा सकती हैं और इस के द्वारा देश को खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं ।

इस में एक बहुत बडी अभाव की चीज मुझे यह दिखाई दे रही है कि इस में जमीन के अर्जन का जो सवाल है, वह राज्य सरकार के पास रहेगा। इस से बहुत सी समस्याएं सामने आ सकती हैं क्योंकि जब कार्यान्वयन का सवाल आता है, तो आम आदमी विरोध करने लगता है कि हम जमीन नहीं देंगे और वर्षों तक मुकदमेबाजी चलती रहती है । यह काम जो इस में किया गया है, यह मेरी समझ में गलत है इस को भी इस में सम्मिलित कर लेना चाहिए था और जो आदमी विस्थापित होंगे, उन के लिए भी कुछ इस में व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि पहाड़ों पर जो आदमी रहते हैं वे गरीब आदमी होते हैं और उन की कृषि-भूमि नदी के किनारे रहती है । अगर बाढ़ नियंत्रण के अन्दर उन की जमीन आ जाएगी या पानी से जल-मग्न हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में उन को फिर से बसाना पड़ेगा । उस के लिए असम सरकार के लिए व्यवस्था करना उस की क्षमता के बाहर होगा । इस योजना में ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिस से उन लोगों के लिए, उन के बच्चों के लिए काम

मिल सके। यह इतनी बड़ी परियोजना होगी जिसमें लाखों आदमी काम करेंगे लेकिन होता क्या है कि जो अधिकारी लोग होते हैं वे अपने यहां के लोगों को ला कर काम में लगा देते हैं, इधर से ले जा कर लोगों की भर्ती कर लेते हैं और वहां के जो आदिवासी लोग हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, वे अपेक्षित रह जाते हैं। डी. वी. सी. की जो योजना थी, उस में हम ने यही देखा कि जो डिस्प्लेस्ड हुए, उन हजारों लोगों को आज तक नोकरी नहीं मिली और जो बाहर के लोग थे, वे ही लाभान्वित हो गये और इस का नतीजा यह हुआ है कि आज जो दामोदर वैली कार्पोरेशन के लोग हैं, वे आन्दोलन कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस चीज की तरफ आप को ध्यान देना चाहिए कि जो वहां के लोकल वासी हैं, इस योजना को जब लागू किया जाए, तो उन लोगों को उस में नियोजित करना चाहिए और खास तोर से आदिवासियों को इस में प्राथमिकता दे कर उन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज हिन्दी में बोलने का प्रयास कर रहा हूं।

ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमाचल से होता है और उस से मिलने वाली जो सारी नदियां हैं, उन में से बहुत सारी नदियां हिमालय के पहाड़ी इलाके में से हो कर बहती हैं और जब बहती हैं, तो बहुत तेजी से बहती हैं और साथ ही अपने साथ वे बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी भी लाती हैं। यह सब होने की वजह से, जिस हिस्से में से हो कर ये बहती हैं, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ भी आती है और वहां पर खेती को नुकसान होता है और गांवों को भी नुकसान होता है। यह बात सही है कि इन नदियों की वजह से वहां हराभरापन नजर आता है मगर जब बरसात होती है, तो बाढ़ों से बहुत भारी नुकसान भी होता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि वहां की खेती की रक्षा के लिए, वहां के गांवों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ कदम उठाये जांय और उन को उठाने की जरूरत महसूस हुई है। उत्तर-पूर्व का जो हमारा हिस्सा है और हमारे देश के वे जो छोटे छोटे प्रान्त हैं, उन में शायद इतनी आर्थिक शक्ति नहीं है कि बाढ़ रोकने के लिए और दूसरी चीजों के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले सकें। इसलिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से विनती की कि यह काम उसकी ओर से हो। आज हमारे सामने यह ब्रह्मपुत्र बोर्ड बिल के नाम से बिल पेश किया गया है। उस पूरे हिस्से के लिए इस के द्वारा काम किया जाने वाला है।

बिल को देखने पर उस में कुछ चीजें नजर आती हैं। पहली चीज बोर्ड की रचना की है। यहां पर कहा गया है कि बोर्ड की रचना अच्छे ढंग से नहीं की गई है। बोर्ड की रचना योग्य तरीके की न होने के कारण जो काम हम को करना है वह काम अच्छी तरह से नहीं होगा। बिल की जो क्लाज 4 है उसकी सब क्लासिज सी, डी और ई के अन्दर खास तौर पर बोर्ड की रचना का जिक्र किया गया है। उस की सब क्लाज सी में यह कहा गया है:

(c) a member each to represent respectively the Governments of Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura and the Administrations of Arunachal Pradesh and Mizoram, and the North-Eastern Council, constituted under section 3 of the North-Eastern Council Act, 1971 to be appointed by the Central Government.

सब क्लाज डी और ई में कहा गया है

(d) a member each to represent respectively the Ministries of the Central Government dealing with agriculture, irrigation, finance, power and transport to be appointed by the Central Government.

(e) a member each to represent respectively the Central water Commission, the Central Electricity Authority, the Geological Survey of India, the India Meteorological Department, to be appointed by the Central Government.

बोर्ड का यह हृदय है। इसी के बारे में मैं यहां पर अपने विचार व्यक्त करने के

[श्री शिवराज वी. पाटिल]

लिए खड़ा हुआ हूं। और भी दूसरे सदस्य वहां काम करेंगे। लेकिन ये जो सदस्य हैं ये अहम सदस्य होंगे। उत्तर पूर्वी हिस्से की जो सरकारें उनका एक एक प्रतिनिधि इस बोर्ड में रहेगा। उस एरिया की सरकारों के पास कितना पैसा है, उनके पास किस प्रकार का तंत्रज्ञ आदि है, ये सब चीजें उनके जो प्रतिनिधि होंगे उन से मालूम हो सकेगी। उसके बाद केन्द्रीय सरकार के जो मंत्रालय इससे सम्बन्धित हैं उन मंत्रालयों के भी प्रतिनिधि इस बोर्ड में काम करने जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उन के प्रतिनिधि उस बोर्ड में होंगे। कृषि मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, यातायात मंत्रालय, ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं इन के प्रतिनिधि वहां होंगे। इससे भी ज्यादा अहम चाज यह है कि सैंट्रल वाटर कमिशन का प्रतिनिधि भी वहां पर काम करेगा, सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी का प्रतिनिधि भी काम करेगा, ज्यालोजिक्ल सर्वे आफ इंडिया का प्रतिनिधि भी काम करेगा और मीटीरोलोजिकल डिपार्टमेन्ट का प्रतिनिधि भी वहां पर काम करेगा। इस रचना को देखने से ऐसा लगता है कि मालूम पड़ सकेगा कि केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की मदद मिल सकती है और जो तंत्रज्ञ हैं, जो उन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं उनके प्रतिनिधि भी उस बोर्ड में बैठे होंगे और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन का भी लाभ इस बोर्ड को मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छी रचना शायद इस बोर्ड की नहीं हो सकती थी। फिर अहम चीज यह है कि कुछ दिन काम करने के बाद यदि हम को लगा कि इस बोर्ड में कुछ कमी रह गई है, खामी रह गई है तो उसको दुरुस्त करने का काम भी किया जा सकता है। आज ही यह कहना कि यह बोर्ड अच्छा नहीं बना है, मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। उस बोर्ड में जो प्रतिनिधि जा रहे हैं निश्चित रूप से वे वहां जा कर बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है।

दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है यह है कि किस प्रकार का काम यह बोर्ड करने जा रहा है। इस चीज को इस बिल के अन्दर इसकी क्लाज 12 में सब क्लाजिज एक और दो में बता दिया गया है।

क्लाज 12(1) में कहा गया है:-

"Subject to the other provisions of this Act and the rules, the Board shall carry out surveys and investigations in the Brahmaputra Valley and prepare a Master Plan for the control of floods and bank erosion and improvement of drainage in the Brahmaputra Valley:

Provided that the Board may prepare the Master Plan in parts with reference to different areas of the Brahamputra valley or with reference to different matters relating to such areas and may, as often as it considers necessary so to do, revise the Master Plan or any part thereof.

क्लाज 12(2) भी बहुत अहम है। वह कहती है:

"In preparing the Master plan, the Board shall have regard to the development and utilisation of the water resources of the Brahamputra Valley for irrigation, hydro power, navigation and other beneficial purposes and shall, as far as possible, indicate in such plan the works and other measures which may be undertaken for such development".

ब्रह्मपुत्र वैली के बारे में सब से पहले अगर कोई काम करना होगा, तो वह है उसका सरवे और इनवेस्टीगेशन। देश के अन्य भागों में डैम बनाने और ब्रह्मपुत्र वैली में डैम बनाने में बहुत फर्क है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत तेजी से बहती है और अपने साथ बहुत सी सिल्ट लाती है। उसके बहाव को रोकने का काम इतना आसान नहीं है। अगर पूरी तरह इनवेस्टीगेशन किये बगैर कोई काम किया जायेगा, तो उससे ज्यादा हानि हो सकती है। ब्रह्मपुत्र वैली में बहुत से डैम और जलाशय बनाये जा सकते हैं, जिनका उपयोग इरिगेशन और बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि नेवीगेशन के लिए जो कदम उठाने जरूरी हैं, वे भी उठाये जायें। लेकिन इसके लिए सब से जरूरी काम अच्छी तरह से इनवेस्टीगेशन करना और मास्टर प्लान बनाना होगा।

चूंकि पूरी ब्रह्मपुत्र वैली के मास्टर प्लान को एक-साथ उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए कुछ हिस्सों का मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा और उस पर अमल करना होगा।

आज हमारे देश में यह व्यवस्था है कि इरिगेशन और पावर की प्राजेक्ट्स का काम राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है और उसमें केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। केन्द्रीय सरकार पैसा और मालूमात देती है, लेकिन अधिकांश काम राज्य सरकारें ही करती हैं। लेकिन इस मामले में विशेष प्रकार की परिस्थितियां—आर्थिक परिस्थिति और ब्रह्मपुत्र नदी की विशेष परिस्थिति—होने की वजह से यह काम केन्द्रीय सरकार के एक बोर्ड को दिया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड की सलाह पर बहुत से काम राज्य सरकारों द्वारा किये जायेंगे। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा है, सब से अहम काम इनवेस्टीगेशन करने और मास्टर प्लान बनाने का है।

जहां तक इस बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था का सम्बन्ध है, सदन में कहा गया है कि इस बिल में केवल 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो बिल्कुल अपर्याप्त है। मैं समझता हूं कि यह गलत है। इस बिल की किसी क्लाज में इस रकम के बारे में नहीं कहा गया है। फिनांशल मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस साल के लिए 13 करोड़ की व्यवस्था की गई है और बाकी की व्यवस्था बाद में की जायेगी।

मैं आपका ध्यान क्लाज 18 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

Clause 18 says:

> "The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Board such sums of money as the Central Government may consider necessary."

यहां पर कोई भी नियन्त्रण नहीं है। जितना चाहिए उतना पैसा आप दे सकते हैं, जितना पैसा जरूरी है उतना दे सकते हैं। इतना ही नहीं यह जो दूसरी क्लाज 19 है उस में यह भी कहा गया है:

Clause 19(1) says:

> "There shall be constituted a Fund to be called the Brahmaputra Board Fund and there shall be credited thereto the sums paid to the Board by the Central Government or by any State Government and all other sums received by the Board."

यह भी व्यवस्था इस के अन्दर की गई है और यह व्यवस्था होने की वजह से पैसे का जहां तक सवाल है जितना पैसा जरूरी है उतना देना पड़ेगा। हमारी बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए, बहुत पैसे की हमें जरूरत है बहुत सारी चीजों के लिए। जितना पैसा जरूरी है उतना एक साल में हम उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। मगर जिस चीज के लिए आज ज्यादा जरूरी है वह तो हमें देना पड़ेगा। अगर हम को ऐसा लगे कि इस का मास्टर प्लान तैयार है, एस्टीमेट्स तैयार हैं और इससे बहुत से काम वहां होने जा रहे हैं, विद्युत मिलने जा रही है, सिंचन की व्यवस्था होने जा रही है जिस से कि देश की उपज बढ़ा सकते हैं और हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं तो हमारी जो संसद है वह भी उस को स्वीकार करेगी। इस बिल के अन्दर पैसे पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया गया है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से पैसा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से पैसा मिलेगा और अगर जरूरत हुई तो वर्ल्ड बैंक की ओर से भी पैसा मिलेगा, दूसरे जो फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन की ओर से भी पैसा खड़ा किया जा सकेगा और इस काम को किया जा सकेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इस साल के लिए 14 करोड़ रुपया जो रखा है वह सही है। जिन महानुभावों ने इरीगेशन और दूसरे डेवलमेन्ट के विभागों में काम किया है उन को पता होगा कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट रखा जाता है तो पहले साल में ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। पहले तो मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, एस्टैब्लिशमेन्ट तैयार किया जाता है, उस समय ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। जब एक या दो साल गुजर जाते हैं तो ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और उस समय हमें ज्यादा पैसा रखना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस के अन्दर व्यवस्था की गई

[श्री शिवराज वी. पाटिल]

है वह अच्छी है और इस से वहां की जो गरज है वह पूरी हो सकेगी।

एक सवाल यह उठाया गया कि जो बोर्ड बनेगा उस के लिए जमीन जो देनी है वह राज्य को शासन को देनी पड़ेगी। जब तक वह जमीन नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ऐसा देखा जाता है, सिंचन के काम हमारे देश में बहुत सारे चल रहे हैं और जहां भी सिंचन के काम चल रहे हैं, जिन का भी इस से संबंध रहा है उन को पता है कि जब कभी डैम बनाने की बात होती है तो वहां का जो काश्तकार है वह बेचारा नाराज हो जाता है और यह दुरुस्त भी है, वह जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो उस को पर्याप्त मात्रा में कम्पेन्सेशन देना जरूरी है और जमीन देना जरूरी है। लेकिन जमीन ऐक्वायर करने का काम जो है वह स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से होता है और जब की ये सारी चीजें वहां की स्टेट गवर्नमेन्ट के लिए बनायी जा रही हैं तो जमीन तो ऐक्वायर करनी पड़ेगी। जमीन ऐक्वायर करने में काफी पैसा लगता है मगर उस से भी अधिक पैसा डैम बनाने के लिए, कैनाल बनाने के लिए, और और दूसरे सिस्टम बनाने के लिए लगता है। जब यह उस प्रान्त की सरकार के लिए बनाया जा रहा है तो इतनी जिमेदारी अगर उन पर डाली जाय तो मैं समझता हूं कि यह कोई गलत बात नहीं है। इस तरह तो उन को इस में कुछ सहयोग देने का मौका दिया गया है। जब वह जमीन देते हैं तो उन को यह महसूस होगा कि हम जमीन दे रहे हैं और हमारे सहयोग से यह काम चल रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस बिल की ओर जो अहम चीजें हैं उन को देखा जाय, इस की रचना की ओर, इस के कार्यों की ओर और धनराशि की व्यवस्था की ओर, तथा और जो दूसरे प्राविजन्स हैं उन को देखा जाय तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल बहुत अच्छे ढंग का बना है और इस बिल से वहां पर यह काम हो सकता है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि बिल कितना ही अच्छा बने, उस के ऊपर किसी चीज की यशस्विता निर्भर नहीं होती है। उस को किसी तरह से अमल में लाते हैं इस पर उस की यशस्विता निर्भर होती है और यहां पर तो बिल भी अच्छा बना है और उस को यशस्वी बनाने का इरादा भी शासन का नजर आता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रान्त की प्रगति के लिए इस बिल का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होने वाला है। मैं इस बिल के लिए मंत्री महोदय का तहे-दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन का अभिनन्दन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस बिल के द्वारा वहां पर एक अलग प्रकार की, उन्नत प्रकार की, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति का निर्माण होगा।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Sir, I support the broad contentions made by our esteemed colleague, Shri Ravindra Varma. I consider this Bill to be a step in the right direction, but absolutely inadequate. Now, as far as I know, this proposal of the Board was welcomed by all parties in Assam including the Government party and the opposition parties. But I do not know if the elected legislature were functioning in Assam at the moment whether they would have been satisfied with this Bill; whether they would want this half-hearted Board to be formed; whether their idea would be only upto this. I have grave doubts about this. Why I am saying this is. Doubts have already been raised about how serious the government is about harnessing the Brahmaputra. I need not go into rhetoric about the Brahmaputra. Everybody knows what Brahmaputra means. I would like to refer to the fact that Brahmaputra really is not an ordinary river and harnessing Brahmaputra really is very very difficult; and it requires a lot of money and technical know how. That being the case, I personally feel that if harnessing the Brahmaputra becomes the financial responsibility of the concerned States in a big way and if that becomes a condition precedent it will never be done. This is my feeling. So, you may say that there are provisions here and there as has been just now referred to by Shri Shivraj Patil, then I would refer to

the statement of Objects and Reasons. Just have a look at the difference of two things—the question of the project report being discussed and the question of its implementation being discussed. When it was being mentioned about this Master Plan, it is said like this. It is given on page 12, objects and Reasons of the Bill. It says, "It is, therefore, proposed to provide for the establishment of a Board called the Brahmaputra Board and to make it responsible for preparing a Master Plan of flood control in the Brahmaputra Valley, and to prepare detailed project reports and estimates of schemes and standards and specifications, etc..." This is as far as the preparation of the Master Plan is concerned. No Condition is attached here. But what happens when the Master Plan is prepared for harnessing the Brahmaputra? The most important thing is the actual implementation. When we come to that, you see how it is described here. On page 12, it says, "It is also proposed that the Board would undertake construction, operation and maintenance of multi-purpose projects, subject to the condtion that the State Governments concerned agree to the sharing of cost and maintenance of the project in the proportion indicated by the Board." So, in this case it is clearly conditional.

Let us imagine that our hon. Minister will spend Rs. 9 crores this year and some more crores in the following years and some kind of a Master Plan will be prepared. After that, if those State Governments who have meagre resources cannot give an important share which the Board may want from them, then the whole thing falls through, according to this Statement of Objects and Reasons; and that is why I said that even without going in for rhetoric on the Brahmaputra, this very fact must be mentioned that the Brahmaputra is such a river which really is beyond the means of not only Assam State but even all these States put together. The Brahmaputra, if harnessed, surely is a very big thing, very beneficial thing for our country. But I don't think that this Bill really goes to that height of imagination, really will help harnessing the Brahmaputra, really gives the country the electricity that it badly needs, really gives the country the benefit of the water which is there, really giving the country the benefit of harnessing Brahmaputra in a way that the son, Putra, of Brahma brings blessing to the people, not curses.

The question about land has been raised. I am not an expert; I am a layman. Even then we have some experience; the experience of the common man is not value less about these projects. Look at the DVC. It started very well. Mr. Pandey should know; people in our area call the Damodar Valley Corporation Dobao-Vasao. Corporation—that means a corporation which is drowning us; Mr. Pandey should be knowing that the original plan of DVC did not have only these three dams; actually there were some more projected; much more land was to come in for four more Confemplated dams. If all the seven were built the DVC's purpose would have been served. Since that was not done, with all the silting, etc. DVC has become counter productive instead of being productive. 1978 flood was due to that. West Bengal, particularly the area from which I come was in great distress. If that is the case with Damodar, what will be the case with Brahmaputra which is far more powerful and whimsical? Along with the preparation of the master plan immediately if an adequate level implementation is guaranteed, if it is not left to this and that, to those who have very little resources, it will help. Their cooperation is of course very important. They must be involved in it and must have their share of control. But their Financial responsibility cannot be a condition precedent for harnessing Brahmaputra. That is why I say that I generally agree with the contention of my friend Shri Ravindra Verma.

I have one or two points to make, though they may not be strictly relevant to this and I think the Government will give serious thought to this matter and not take it in a casual way. This is a special request to the hon. Minister of Irrigation not to do the same thing with the master plan that has been worked out for West Bengal, particularly in my area, Ghatal master plan and Tamluk master plan. He should move quickly and make the implementation of those master plans effective.

15.29 hrs.

DISCUSSION RE. SITUATION ARISING OUT OF SPIRALLING PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS, ESPECIALLY OF FERTILIZERS

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion under rule 193 on the situation arising out of the spiralling prices of agricultural inputs, especially of fertilizers in the country.

15.30 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

श्री धनिक लाल मंडल (झंझरपुर): श्रीमान, हाल के समय में अपने देश में एक बहुत बड़ा आन्दोलन, आम लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा चलाया गया, कर्णाटक राज्य में चला, खास कर उत्तरी कर्णाटक में । जिस के अंदर धारवाड़, बेलगांव, हुबली, रायचूर और कुछ अन्य जिले चपेट में आये। यह आन्दोलन इतना उग्र, इतना तीव्र और इतना व्यापक बना यद्यपि इस की चर्चा कम हुई लेकिन हाल के समय में जो इतना उग्र, इतना व्यापक और इतना तीव्र आन्दोलन, जो स्पोनटेनियस आन्दोलन था, आम जनता के द्वारा और किसानों के द्वारा यह हुआ, इस की चर्चा यहां पर होना बहुत आवश्यक है और यह आप की कृपा है कि आप ने इस चर्चा के लिए अपनी अनुमति दी है। महोदय, दो तरह के आन्दोलन संयोग से मिल गये, एक तो वह आन्दोलन था, जिस का प्रारम्भ किसानों ने किया और दूसरा वह था जिस का प्रारम्भ आम लोगों ने किया और वह मंहगाई के खिलाफ था। किसानों पर भी इस का असर हुआ जिस की वजह से किसान लगातार महीनों से आन्दोलन करते चले आ रहे थे, सत्याग्रह करते चले आ रहे थे और धरने देते चले आ रहे थे और भारत सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित कर रहे थे लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया और मजबूर हो कर पिछली 21 जुलाई को, पिछले महीने उन लोगों ने आम हड़ताल का आवाहन किया और उसी दिन संयोग से गडग में जो धारवाड़ जिले में है, वहां लोगों ने मंहगाई के खिलाफ, दामों के बढ़ने के खिलाफ आम हड़ताल का आवाहन किया और इस तरह से ये दोनों आन्दोलन आपस में जुड गये । जुड़ने का एक कारण यह भी हुआ कि जब किसानों ने 21 जुलाई को आम हड़ताल रखी, तो उस पर ज्यादती की गई, खास तौर से पुलिस की ओर से ज्यादती हुई और इस का असर यह हुआ कि सभी प्रकार के लोग सरकार के खिलाफ में इकटठा हो गये, महगाई के विरूद्ध जो लडने वाले लोग थे और किसानों की समस्याओं को ले कर लडने वाले जो लोग थे, वे दोनों आपस में मिल गये और यह आन्दोलन लगभग एक हफ्ता चला और इस में 19 आदमी मारे गये, जिस में तीन पुलिसकर्मी भी थे, जोकि जनता के हाथों मारे गये और पुलिस के द्वारा 16 आदमी मारे गये, कुल मिला कर 19 आदमी मारे गये । . . . **(व्यवधान)** . . यह निन्दा की बात है, यह खेद की बात है लेकिन यह जो घटना हुई, कुछ मांगों को ले कर, किसानों की भी मांगें थीं और महगाई से परेशान आम लोग जो है, जो जनजीवन है, उन दोनों ने मिल कर आन्दोलन किया। शुरू में ही इस बात को देखा जाना चाहिए और मुझे इस सम्बन्ध में एक बात कहनी है और वह यह है कि मैंने शुरू में ही इस चीज को सामने लाने के लिए इस को एजोर्नमेंट मोशन के रूप में उठाना चाहा लेकिन अध्यक्ष जी ने स्वविवेक से आज तक उसे स्वीकार नहीं